भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 2230
गुरुवार 12 फ़रवरी, 2026/23 माघ, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमान कंपनियों के प्रचालन का मूल्यांकन

2230. श्री वी. वैथिलिंगमः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ऐसी स्थिति का मूल्यांकन किया है जिसमें एक विमान कंपनी बहुत बड़ी बाजार हिस्सेदारी को नियंत्रित करती है जिसके परिणामस्वरूप अचानक सेवा बंद होने तथा प्रचालनिक समस्याओं के दौरान किरायों में वृद्धि सहित प्रणालीगत भेद्यता हो सकती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा दूर-दराज के क्षेत्रों के लिए उड़ानों की उपलब्धता, उपभोक्ता हितों की सुरक्षा और संतुलित विकास के लिए विमान कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा हेतु समर्थन सहित देश में हवाई आवागमन के जोखिमों के संबंध में सरकार के आकलन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार विमानन क्षेत्र में व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए उचित स्लॉट आवंटन, पारदर्शी वायुमार्ग नीतियों तथा किसी प्रमुख विमान कंपनी के प्रचालन संबंधी कठिनाई के बीच भी निर्बाध विमान सेवाओं को सुनिश्चित करने जैसे सुरक्षा उपायों के माध्यम से संरचनात्मक सुधार करने का विचार रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ग): सरकार एक संतुलित, प्रतिस्पर्धी और लचीले नागर विमानन पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि किसी एक एयरलाइन में परिचालन व्यवधानों से राष्ट्रीय संपर्क पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। वायु निगम अधिनियम के निरस्त होने के साथ, भारतीय विमानन क्षेत्र को पूर्ण रूप से नियंत्रणमुक्त कर दिया गया है और एयरलाइनें अपनी वाणिज्यिक व्यवहार्यता और बाजार सरोकारों के आधार पर उड़ानों का परिचालन करने और मार्गों पर क्षमता तैनात करने के लिए स्वतंत्र हैं। नीतिगत स्तर पर, यातायात अधिकारों के युक्तिकरण, हवाईअड्डा अवसंरचना के विस्तार, कई वाहकों द्वारा विमानों को बेड़े में शामिल किए जाने और 'उड़ान' योजना के तहत क्षेत्रीय हवाई संपर्क के विस्तार के माध्यम से क्षमता विविधीकरण को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जो कई एयरलाइनों को अल्पसेवित और असेवित मार्गों पर परिचालन करने में सक्षम बनाता है। इसके अतिरिक्त डीजीसीए एयरलाइन अनुसूचियों, चालक दल-योजना और परिचालन संबंधी तैयारी की निगरानी करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वाहक पर्याप्त लचीलापन और आकस्मिकता बफर बनाए रखें। ये उपाय सामूहिक रूप से यह सुनिश्चित करते हैं कि घरेलू संपर्क का विकास व्यापक स्तर पर हो। क्षेत्रीय और दूरस्थ क्षेत्र संपर्क को उड़ान योजना जैसे नीतिगत हस्तक्षेपों के माध्यम से समर्थन दिया जाता है। इसके अलावा, ट्रंक, क्षेत्रीय और दूरस्थ मार्गों में क्षमता के संतुलित परिनियोजन को सुनिश्चित करने के लिए मार्ग संवितरण दिशानिर्देश (आरडीजी) लागू हैं, जिससे प्रमुख मार्गों के साथ-साथ अल्पसेवित क्षेत्रों में हवाई सेवाओं की उपलब्धता में सहायता मिल सके।

******